

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के आदेशांक व पत्रांक रा.स्कू.शि.प./जय/संस्था-1/सी-4/प्रतिनियुक्ति निरस्त/2018-19/12046 व 12048 दिनांक 10.06.2020 के निर्देशों की पालना में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के अधीन जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों/कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति समाप्त विद्ये जाने पर कार्यालय निदेशक मा.शि. राजस्थान, बीकानेर में आदेशों की प्रतिक्षा में उपस्थिति दे रहे निम्नांकित व्याख्याताओं (राजनीति विज्ञान) का पदस्थापन/समायोजन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सामुख अंकित कॉलम संख्या 04 पर किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कार्मिक	एपीओ से पूर्व पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	2	3	4
1	MUNSHI RAM	Office of Chief Block Education Officer, Block NEEMRANA, Dist. ALWAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEEMRANA (216223), NEEMRANA (08060204301)(MUNDAWAR) ALWAR
2	KAPIL CHOUDHARY	Office of Add. District Project Coordinator, SMSA, Jalor	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANTHU (221120), JALORE (08180202301)(JALORE (5C)) JALOR

उक्त कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी आगामी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर दें। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करावें। उक्त कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय है।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिदिरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/पो/पद./2018/16 दिनांक:- 16/06/20

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा गुप-2 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
8. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
9. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण कार्यालय हाजा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिकों ने एपीओ अवधि में क्रमशः 1.1.1.1...व...2.2.2.2...दिवस आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया है, को शाला दर्पण पोर्टल से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें।
10. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग विभागीय वैवसाइट पर अपलोड हेतु।
11. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर